SDO (गु...

17.10.22 वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश
कर पत्रावली सुनवाई में लेने का निवेदन
किया जिस पर पत्रावली आज सुनवाई
में ली गई। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन
किया कि प्रकरण में विपक्षीगण को
जरिये डाक समन भेजकर रसीदें पेश
कर दी है, प्रकरण की आगामी ता. पेशी
04.11.2022 को है, परन्तु प्रकरण में
स्थगन आदेश दिया जाना अत्यन्त
आवश्यक होने से आज ही पत्रावली
सुनवाई में ली जाकर विपक्षीगण को
कार्यवाही निषेधाज्ञा से पाबन्द किया
जावे साथ ही वकील प्रार्थीगण ने यह

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर, गुडामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 14:00:44 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | |
|---|---|
| | की लिखित किया कि न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में तलब की गयी मौका रिपोर्ट भी न्यायालय को प्राप्त हो चुकी है इसलिये प्रकरण में आज ही सुनवाई कर विपक्षीगण के विरुद्ध स्टे जारी किया जावे। इनके वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खेत ख.नं. 397 रकबा 3.3346 हेक्टेयर मौजा बातों की ढाणी पटवार क्षेत्र [illegible] [illegible] तहसील गुड़ामालानी में स्थित है। प्रार्थीगण के पड़ौसी विपक्षीगण खसरा नम्बर 426, 398/2 के खातेदार झगड़ालू प्रवृति के व्यक्ति हैं और प्रार्थी की मेरवमबन्दी की हुई भूमि की नाकों को तोड़ रहे हैं और प्रार्थीगण की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर प्रार्थीगण को कब्जे से बेदखल कर देंगे। प्रार्थीगण मेरवमबन्दी कर लगाये गये पक्के नेवड़ भी तोड़ दिये हैं एवं बार-बार धमकियां दे रहे हैं। विपक्षीगण को प्रार्थीगण की भूमि [illegible] करने, जबरन [illegible] अनाधिकृत प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है एवं बेदखल विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से<br><br>सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी |

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 14:00:44 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पाबन्द किया जावे। वकील प्रार्थिया ने यह भी बताया कि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रार्थिया की एक विवादित भूमि में खुदकाश्त का प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही आज ही की जा रही है इसलिये विपक्षीगण के विरुद्ध आज ही स्टे जारी किया जावे।

हमने वकील प्रार्थिया की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं विवादित भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक 1582 दिनांक 23-09-2022 द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट का गहराई से अवलोकन अध्ययन किया गया। प्रार्थिया विवादित भूमि ख.नं. 397 के रेकर्डेड खातेदारान है व प्रा. विपक्षीगण प्रार्थीगण के सेढ़ा पड़ौसी स्थित ख.नं. 426, 398/2 के खातेदारान है। तहसीलदार गुड़ामालानी की मौका रिपोर्ट क्रमांक 1582 दि० 23.09.2022 द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण सं. 142/22 उनवान खुदाराम [illegible] में उक्त विवादित [illegible] कार्यवाही की जाकर [illegible] ओर के कोने पर पत्थर के पक्के निशान लगाए गये। उक्त तरमीम एक

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 14:00:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

तारीख हुक्म

मौके पर कब्जा काश्त किसानों
खसरा की नक्शा में स्थिति से मिलान
हेतु राजस्व नक्शा अनुसार खेत के कोनों
की राजस्व पत्थर गाड़कर उनपर
ओर के कोनों पर किये गये खसरे के
बिन्दु सं. अंकित
बिन्दु सं. G पर लगाये गये पत्थर को
उखाड़कर पास में ही रख दिया है शेष
सभी बिन्दुओं पर पत्थर के लोकेशन यथावत्
कायम हैं। बिन्दु सं. A से B के अलावा
अन्य बिन्दुओं के आपस में पत्थर की
चौकी तथा कांटेदार तार बांधकर पड़ोसी
खसरे के साथ सीमा [illegible] हो इन
बिन्दुओं के बीच की सीमा को प्रार्थीगण
व पड़ोसी खातेदारान द्वारा आपस में
सहमत होकर राजस्व नक्शे अनुसार सीमा
कायम की गयी है। इन सीमाओं में प्रार्थीगण
के कब्जे में आने वाली पड़ोसी खसरे
की भूमि को प्रार्थीगण द्वारा तथा पड़ोसी
के खसरे में आने वाली प्रार्थीगण की
भूमि को पड़ोसी खातेदार द्वारा छोड़कर
सीमा कायम की गयी है। लोकेशन-टी के
समय प्रार्थीगण का कब्जा काश्त तथा
वर्तमान में [illegible] नक्शा [illegible] है जो
मौका रिपोर्ट के [illegible] 97
की भूमि [illegible] डामर सड़क
निकलती है जो मौके पर बनी हुई है
जबकि राजस्व रेकर्ड में अंकित नहीं है।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर, गुडामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 14:00:44 IST
Reason: SelfAttested

| हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख आहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| बिन्दु सं. A व B के बीच की भुजा राजस्व नक्शा अनुसार सीधी है जबकि मेरबन्दी के वक्त यह भुजा घुमावदार थी, इस घुमावदार भुजा के ख.नं. 421 की ओर चलने हेतु कच्चा रास्ता मौके पर था जिसे ख.नं. 421 के खातेदारों द्वारा आगे खसरों में आने जाने के लिये दिया गया था, यह कच्चा रास्ता इस खसरे तथा आगे के खसरों में भी राजस्व रेकर्ड में अंकित नहीं है। यह रास्ता डामर सड़क बनने के पश्चात 15 वर्षों पूर्व ख.नं. 421 के खातेदारों द्वारा अपने कब्जे की भूमि में अन्य खसरों तक पहुंचने हेतु दिया गया था। मेरबन्दी के पश्चात् ख.नं. 421 व 397 के खातेदारों द्वारा राजस्व रेकर्ड अनुसार कब्जा करने की सहमति पश्चात सीमा पर पत्थर की चीनें गाढी गई जो मौके पर वक्त मौका उपलब्ध पाई गई। ख.नं. 421 के खातेदारों द्वारा रास्ते के उपयोग में ली जाने वाली भूमि को छोड़कर लोहे की एंगल मय कांटेदार तार बांधकर तारबन्दी की हुई है यह तारबन्दी मौके पर उपलब्ध है। इन कांटेदार तारबन्दी के ख.नं. 397 की ओर की बाड़ को खातेदार द्वारा निकाल कर समतल किया गया है। बाड़ के पास खातेदार की [illegible] इस खसरे के [illegible] के पास 10 x 12 फीट की सीमेन्ट ईंट व चद्दर डालकर एक कोठरी का निर्माण | |

सहायक कलेक्टर, गुढ़ागौड़जी (?)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 14:00:44 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|
| | किया गया है तथा इसके पास ही एक पानी की गोल होदी भी बनाई गयी है। पानी की होदी व ओरडी का निर्माण लगभग 15-20 दिन पूर्व किया गया है। पूर्व से चल रहे रास्ते की भूमि पर ओरडी व पानी की होदी बनाकर यह भूमि ख.नं. 397 की सीमा में आने से रास्ता बन्द कर दिया गया है।<br>तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि 15-20 दिन पूर्व ही अप्रार्थीगण द्वारा वर्षों से चल रहे रास्ते को बन्द करने की नीयत से ओरडी व पानी की होदी बनाकर रुकावट व मौके की स्थिति में परिवर्तन कर दिया है तथा यह आवेदन पत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्थगन जारी करने का केवल मात्र रास्ता अवरुद्ध किये जाने की नीयत से पेश कर दिया है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता [illegible] द्वारा यह स्पष्ट किया है कि रास्ते की भूमि पर 15-20 दिन पूर्व बनी होदी व ओरडी के खिलाफ [illegible] का [illegible] कर रास्ता [illegible] से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इससे यह स्पष्ट<br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Pramod Kumar<br>Date: 2022.11.07 14:00:44 IST<br>Reason: SelfAttested<br>[signature]<br>सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी |

...जो इस हुक्म की तारीख से जारी हुए

से मुझे प्रतिवादीगण स्वयं रास्ते
के इस्तेमाल से नहीं रोका है। केवल
मात्र आम रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण
करने की मंशा लेकर वादी के चल
रहे रास्ते को बन्द करने की योजना
से ऐसे तहसीलदार मुरादाबाद द्वारा
कुरकानून [illegible] की कार्यवाही
में हस्तक्षेप पैदा करने की नीयत
से यह प्रार्थना पत्र गलत [illegible]
विधि व्यवस्था का पेश किया है।
अतः उपरोक्त विवेचन के आधार
पर उक्त प्रकरण की विवादित
भूमि के सम्बन्ध में स्थगन
दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता
है अतः प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत आदेश धारा 212 राजस्व
कार्यवाही अधिनियम का अस्वीकार
कर खारिज किया जाता है पत्रावली
नियम अनुसार होकर दाखिल दफ्तर
हो तथा फल बाद के आगे [illegible]
की जाती।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 14:00:44 IST
Reason: SelfAttested